न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 44/2014 (2014/00074) जिला–अजमेर

1. नारायण दत्तक पुत्र कल्याण (फौत)–
   1/1 श्रीमती मनभर पत्नी स्व0 नारायण
   1/2 भंवर लाल पुत्र स्व0 नारायण
   1/3 रामप्रकाश पुत्र स्व0 नारायण
   1/4 ओम प्रकाश पुत्र स्व0 नारायण
   1/5 गोपाल पुत्र स्व0 नारायण
   1/6 रामावतार पुत्र स्व0 नारायण
   1/7 लाली पुत्री स्व0 नारायण
   1/8 सुरता पुत्री स्व0 नारायण
   समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम मुण्डोती, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई जिला अजमेर।
2. कमला पुत्री कल्याण पत्नी श्री पोलू जाति कुम्हार निवासी प्रतापपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, अंराई दिनांक 18–07–2014
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 18/2014
बउनवान नारायण बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री शांति प्रकाश ओझा़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री हेम सिंह राठौड़ अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः– 04–07–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, अंराई के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मुण्डोती पटवार

हलका आकोडिया के खसरा नम्बर 72, 73, 74, 196, 548 व 549 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा के कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा है । उक्त भूमि के आधे हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 को अवैध रूप से शून्य घोषित कराने बाबत एक वाद अपर जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद को दिनांक 22–4–2009 के द्वारा डिक्री किया गया जिसमें न्ययालय द्वारा 16–2–2002 के विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्ययालय में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 24–2–2014 को खारिज कर दी तथा जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 9–4–2014 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को कब्जा सौंप दिया। इसलिए विवादित आराजी को प्रार्थीगण के नाम अंकित किये जाने के आदेश पटवारी हलका को प्रदान किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 18–7–2014 के द्वारा विवादित आराजियात को पुनः विक्रेता कमला पुत्री कल्याण प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये तथा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से कोई निर्णय पारित नहीं किया। तहसीलदार, अंराई के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न निर्णयों का सहीं ढंग से अवलोकन किये बिना अपीलर्थी के प्रार्थना पत्र जिसमें अपीलार्थी ने अपने नाम इन्द्राजात कराने का निवेदन किया था, को नजर अन्दाज कर पुनः प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला के नाम इन्द्राज करने के आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नारायण ने जो वाद अपर जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें कमला ने विवादित आराजियात का अपने नाम इन्द्राज करवाकर भोलू पुत्र सूरजकरण को बेचान कर दी थी। उक्त विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने का वाद अपर जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया था और विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 को शून्य व अवैध घोषित किए जाने तथा वादी को कब्जा दिलाये जाने बाबत डिक्री चाही थी जिसे अपर जिला न्यायाधीश ने सम्पूर्ण ट्रायल करने के पश्चात तनकी संख्या 2 जिसमें वादी नारायण स्व0 कल्याण का दत्तक पुत्र है एवं कल्याण द्वारा की गई वसीयत दिनांक 7–5–75 के आधार पर विक्रित आराजी का उत्तराधिकारी एवं स्वामी है। उक्त तनकी अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित की गई और अन्त में अपीलार्थी का वाद डिक्री किया गया। तहसीलदार अरांई द्वारा उक्त निर्णय को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, अंराई ने अपने निर्णय में माननीय न्यायालयों के निर्णयों का अंकन तो किया है किन्तु अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र जिसमें विवादित आराजियात को अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था को नजर अन्दाज कर विवादित आराजियात को पुनः प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, अंराई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–7–2014 निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजियात को अपीलार्थी के नाम दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) नं0 3 अजमेर केम्प किशनगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 22–2–2009 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 को अवैध व शून्य प्रकृति का होने के कारण शून्य घोषित किया जा चुका है तो उक्त विक्रय पत्र द्वारा विवादित आराजियात विक्रेता कमला पुत्री कल्याण के बजाय क्रेता भोलू पुत्र सूरजकरण के नाम हस्तांतरित हुई। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 को शून्य घोषित करने के कारण ग्राम मुण्डोती के खसरा नम्बर 72, 73, 74, 196, 548 व 549 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा के कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि को 1/2 हिस्सा क्रेता भोलू पुत्र सूरजकरण जाट के बजाय पुनः विक्रेता कमला पुत्री कल्याण जाति कुम्हार निवासी ग्राम मुण्डोती के नाम रेकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये है जो विधिसम्मत है। माननीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 9–1–2002 निरस्त करने के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किये है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित किया है जिसके आधार पर विवादित आराजियात पुनः प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम इन्द्राज करने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, अंराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2014 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार कज्जा थे जिनका पारिवारिक सजरा अनुसार उनके दो पुत्र बालू एवं कल्याण थे । बालू के वारिसानों में राजी, नारायण, काना, धन्ना पि0 बालू है तथा कल्याण के वारिसानों में एक मात्र पुत्री कमला ही है। ग्राम मुण्डोती पटवार हलका आकोडिया के खसरा नम्बर 72, 73, 74, 196, 548 व 549 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा के कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि में कल्याण व बालू के नाम 1/2–1/2 हिस्से का इन्द्राज है।

उनका यह भी तर्क है कि कमला के पिता स्व0 कल्याण की मृत्यु होने के बाद ग्राम पंचायत ने विधिक पक्षकारों की जांच कर दिनांक 9–1–2002 को प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया क्योंकि कमला ही स्व0 नारायण की एक मात्र जायन्दा वारिस थी। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 16–2–2002

को अपने हिस्से की आराजी 14.09 बीघा का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भोलू पुत्र सूरजकरण जाट को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर भोलू पुत्र सूरजकरण के नाम नामान्तरकरण दिनांक 6–4–2002 को स्वीकृत किया गया जिसको आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नारायण ने अपने आपको कल्याण का दत्तक पुत्र बताते हुए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष एक वाद दिनांक 15–5–2005 को विक्रय पत्र निरस्त कराने एवं कब्जे बाबत पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद का दिनांक 22–4–2009 को डिक्री किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 को शून्य घोषित किया जाकर वादी को 2 माह के भीतर कब्जा सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये एवं कहीं पर भी उक्त वाद में यह आदेश प्रदान नहीं किया गया कि कमला पुत्री स्व0 कल्याण के नाम जो नामान्तरकरण दिनांक 9–1–2002 को स्वीकृत किया गय था उसको उक्त वाद में निरस्त किया गया है तो वर्तमान में भी कमला पुत्री कल्याण के नाम ही उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण का विवादित आरजियात पर ना तो कब्जा काश्त है और ना ही आधिपत्य है। स्व0 नारायण जो कि खुद को कल्याण का दत्तक पुत्र एवं वसीयत बताया था जो कि कमला के पिता कल्याण द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित नहीं की केवल मात्र झूंठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर नारायण द्वारा गोद जाना व वसीयत होना बताता हैं। अपीलार्थी दिनांक 9–1–1999 को एक इकरारनामा कमला द्वारा नारायण के पक्ष में निष्पादित किया जाना बताता है जो कि एक फर्जी व बनावटी दस्तावेज है जिस पर कमला क कहीं पर भी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है एवं इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है उक्त विवादित आराजियात में यदि नारायण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने है तो वह नियमित वाद प्रस्तुत करके ही प्राप्त कर सकता है नामान्तरकरण की कार्यवाही में खातेदारी हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है।

उनका यह भी कथन है कि सिविल न्यायालय के निर्णय से विक्रय पत्र निरस्त किया गया है तहसीलदार ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण जो भोलू पुत्र सूरजकरण के नाम दिनांक 6–4–2002 को स्वीकृत हुआ था को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की थी। अतः जो नामान्तरकरण कमला के नाम दिनांक 16–6–2002 को स्वीकृत किया गया था उसी के नाम वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उनका यह भी तर्क है कि बालू ने अपने जीवनकाल में अपने जरूरतों एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु रूपये 12500/– का ऋण प्राप्त किया था जो नारायण पुत्र बालू द्वारा दिनांक 10–7–1993 को चुका दिया गया जिस हेतु एक रहनमुक्त रहननामा नारायण पुत्र बालू कुम्हार को लिखा गया जिससे स्पष्ट है कि जब नारायण स्वयं को कल्याण का दिनांक 9–6–1960 को गोदपुत्र होना बताता है तो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नारायण के पिता का नाम बालू ही दर्ज है एवं बालू की

मृत्यु उपरान्त इन्तकाल विरासतन नामान्तरकरण जो दिनांक 20–1–1998 को 1/4 हिस्से का नारायण के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। अतः नारायण द्वारा जो कल्याण का गोदपुत्र होना बताया गया है वह कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज है। अपीलार्थीगण वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है तो उनको राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियमित वाद प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, अंराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2014 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार कज्जा थे जिनका पारिवारिक सजरा अनुसार उनके दो पुत्र बालू एवं कल्याण थे । बालू के वारिसानों में राजी, नारायण, काना, धन्ना पि0 बालू है तथा कल्याण के वारिसानों में एक मात्र पुत्री कमला ही है। ग्राम मुण्डोती पटवार हलका आकोडिया के खसरा नम्बर 72, 73, 74, 196, 548 व 549 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा के कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि में कल्याण व बालू के नाम 1/2–1/2 हिस्से का इन्द्राज है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुश्तैनी खातेदारी की आराजियात में सभी विधिक वारिसानों का बराबर का हिस्सा होता है। विवादित आराजियात का कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा है । प्रत्यर्थी संख्या 2 जो कि अपने पिता कल्याण की एक मात्र वारिस है ने अपने 1/2 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भोलू पुत्र सूरजकरण को कर दिया गया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण भी खोल दिया गया। अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नारायण पुत्र बालू ने अपने आपको कल्याण का दत्तक पुत्र बताया है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्व0 कल्याण के द्वारा नारायण को गोद लेने व देने के संबंध में कोई दस्तावेज गोदनामा आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में अंकन किया है कि कमला के पिता कल्याण द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी नारायण के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नारायण द्वारा दिनांक 9–1–1999 को एक इकरारनामा कमला द्वारा स्व0 नारायण के पक्ष में निष्पादित किया जाना बताया गया जो कि एक फर्जी व बनावटी दस्तावेज है जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला पुत्री कल्याण के कहीं पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि नारायण पुत्र बालू द्वारा अपने आपको स्व0 कल्याण का दत्तक पुत्र बताते हुए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के समक्ष एक वाद विक्रय पत्र निरस्त करने एवं कब्जे के संबंध में प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 22–4–2009 को डिक्री

किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 को शून्य घोषित किया जाकर वादी को 2 माह के भीतर कब्जा सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये गये है उक्त आदेश में कहीं पर भी कमला पुत्री कल्याण के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक 9–1–2002 को निरस्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही माननीय सिविल न्यायालय किशनगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 22–4–2009 में केवल विक्रय पत्र शून्य व अवैध घोषित किया है तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भोलू पुत्र सूरजकरण जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बेचान की गई भूमि के आधार पर दिनांक 6–4–2002 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था उसको निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की है। ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण कमला के नाम दिनांक 16–6–2002 को स्वीकृत था वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16–2–2002 शून्य घोषित होने के कारण ग्राम मुण्डोती के खसरा नम्बर 72, 73, 74, 196, 548 व 549 कुल किता 6 कुल रकबा 28–18–00 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा क्रेता भोलू पुत्र सूरजकरण जाट के बजाय पुनः विक्रेता कमला पुत्री कल्याण जाति कुम्हार के नाम रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये है जो उचित प्रतीत होते है। चूंकि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी पक्षकार के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है उक्त विवादित आराजियात में यदि नारायण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने है तो वह नियमित वाद प्रस्तुत करके ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, अंराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2014 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंराई द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–7–2014 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 18/2014 बउनवान नारायण बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर